

27/5

पत्रावली पेश की गयी। पत्रावली पत्रावली उप० की
मिथिल पत्रावली के तारीख दिनांक 6/10/25
को पेश की।

27/5

6/5

पत्रावली पेश हुई। कमील वादी/प्रतिवादी
उपस्थित। पत्रावली अधिकारी के राजकार्य
में व्यस्त होने से पत्रावली में सुनवाई नहीं
हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक-----
-- 23/3/25 को
पेश की

29/5

पत्रावली पेश हुई। कमील वादी/प्रतिवादी
उपस्थित। पत्रावली अधिकारी के राजकार्य
में व्यस्त होने से पत्रावली में सुनवाई नहीं
हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक-----
-- 31/10/25 को
पेश की

31 10
25

पत्रावली पेश की। कमील पत्रावली उप० नहीं है।
हार्पी अधि० स्वयं-हार्पी को आवाज लगायी
गयी परन्तु उप० नहीं है। बार-बार आवाज लगायी
जाने के उपरान्त भी हार्पी अधि० स्वयं-हार्पी
को उप० नहीं होने से पत्रावली का अयम पत्रावली
स्वयं-हार्पी अधि० में खरीज किया जा चुका है।
इसी स्थिति में हार्पी-पत्र को आगे-चलाये
जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः
हार्पी-पत्र को इसी स्तर पर खरीज किया
जाता है। न्यायालय द्वारा जारी स्थान
आदेश संख्या 20/21 दिनांक 18-3-21 को निरस्त
किया जाता है। पत्रावली प्रस्ताव शुमार एकर नम्बर से
कम की जाकर दाखिल दफ्तर की सुनवाई के संबंध
में है।

निर्णय आज दिनांक 31-10-25 को अरे इजलस
सुनाया गया।